प्रेषक,

पवन कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

2– प्रमुख वन संरक्षक,
वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ।

3– प्रबन्ध निदेशक,
वन निगम,
उ0प्र0, लखनऊ।

वन अनुभाग–4 लखनऊ, दिनांक 07 अगस्त 2014

विषयः प्रदेश में ईको पर्यटन संबंधी कार्यों को बढ़ावा देने के संबंध में उ0प्र0 ईको टूरिज्म पालिसी (नीति)–2014 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 में स्थित प्राकृतिक आकर्षण, वृहत सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहर, प्राकृतिक पुर्नजीवन, सुदूर क्षेत्रों में विकास हेतु उ0प्र0 ईको–टूरिज्म पालिसी (नीति) 2014 निम्नवत् निरूपित की जाती हैः–

उत्तर प्रदेश ईको–टूरिज्म पॉलिसी (नीति) 2014

1– उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक आकर्षण, बृहद सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहर विद्यमान है जिससे प्रदेश में ईको पर्यटन के विकास की असीम सम्भावनायें हैं। प्रदेश के प्राकृतिक भू–भाग का 6.88 प्रतिशत क्षेत्र वन से आच्छादित है, इसमें 1 राष्ट्रीय उद्यान एवं 24 वन्य जीव विहार संरक्षित क्षेत्र घोषित हैं। प्रदेश की नदियाँ, जल धारायें, सरोवर, तालाब, विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र का ऊँचा–नीचा भूदृश्य, मानव निर्मित तालाब, आम आदि फलदार वृक्षों के बाग, चम्बल एवं यमुना नदी के बीहड़ क्षेत्र, इन्डो–गंगेटिक क्षेत्र की जैविक सम्पदा से अन्तर्निहित हैं जो कि ईको पर्यटन की सम्भावनाओं को बढ़ावा देते हैं।

2– प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में रोजगार सृजन, प्राकृतिक पुनर्जीवन, सूदूर क्षेत्रों के विकास, महिलाओं एवं अन्य सुविधाहीन लोगों के विकास के साथ ही साथ सामाजिक एकीकरण में सहायक ईको पर्यटन पॉलिसी अति महत्त्वपूर्ण है। इस पालिसी से स्थानीय समुदायों की आय में वृद्धि से उनका उत्थान होगा तथा ईको पर्यटन स्थल पर पूँजी निवेश की परिस्थितियों का सृजन होगा।

ईको पर्यटन को वर्ष 1983 में पहली बार एक मैक्सिकों के लेखक श्री हेक्टर सेबेलॉस–लासकुरेन द्वारा निम्न प्रकार परिभाषित किया गया :–

" That form of environmentally responsible tourism that involves travel and visitation to relatively undisturbed natural areas with the object of enjoying admiring and studying the nature (the scenery, wild plants and animals), as well as any cultural aspect (both past and present) found in these areas, through a process which promotes conservation, has a low impact on environment and on culture and favors the active and socioeconomically beneficial involvement of local communities"

ईको पर्यटन में निम्न मुख्य विशेषतायें होती हैंः–

- प्राकृतिक दृष्टि से आकर्षक क्षेत्र/स्थल का पर्यटन।
- पर्यटन स्थलों के परिवेश पर न्यूनतम प्रभाव डालने वाली गतिविधियाँ करना।
- चिरस्थायी प्रकृति का पर्यटन जो कि चिरस्थायी विकास में सहयोग प्रदान करता हो, जिसमें स्थानीय समुदायों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता हो।
- इस प्रकार के पर्यटन से पर्यावरण एवं स्थानीय संस्कृति समझने, महसूस करने एवं संरक्षित करने में अभिवृद्धि होती हो।
- ईको पर्यटन नैतिक रूप से अपने व्यवहार से प्रकृति एवं स्थानीय संस्कृति का आनन्द लेने के साथ–साथ अपने अनुभव को समृद्ध करता है।
- इस प्रकार के पर्यटन से स्थानीय जैव विविधता पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है।
- पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता हो।
- ईको पर्यटन स्थानीय समुदायों की आय में वृद्धि करता है तथा सामाजिक विकासपरक होता है जो कि समुदाय के लिये कल्याणकारी होता है।
- सुदूर क्षेत्रों में ईको पर्यटन से रोजगार की सम्भावनाओं की वृद्धि होती है तथा अतिरिक्त आय का साधन होता है।
- पर्यावरण के संरक्षण तथा विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के लिये सम्मान की भावना को ईको पर्यटन के माध्यम से बढ़ावा मिलता है।

3– उत्तर प्रदेश ईको पर्यटन की निम्न परिभाषा को अंगीकार करता हैः–

''ईको पर्यटन प्राकृतिक क्षेत्र में नैतिक रूप से उत्तरदायी पर्यटन है तथा पर्यावरण एवं संस्कृति की समझ, सराहना एवं संरक्षण को बढ़ावा एवं प्रोत्साहन देता है। जैवविविधता के प्रति जागरूकता तथा स्थानीय संस्कृति के संरक्षण के साथ–साथ उनके मूल स्वरूप को संरक्षित करने पर बल देता है। यह स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के साथ–साथ आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अधिकारविहीन लोगों के लिये अतिरिक्त आय का एक सशक्त साधन प्रस्तुत करता है।''

परिदृश्य

पर्यावरण एवं संस्कृति संरक्षण के माध्यम से प्रकृति का अर्थपूर्ण एवं अनोखे सीखने के अनुभव उपलब्ध कराने के साथ–साथ स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण एवं सकारात्मक सहभागिता के माध्यम से उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय मार्गदर्शक के रूप में स्थापित कराना है।

4–उद्देश्य

उपरोक्त परिदृश्य निम्न उद्देश्यों के माध्यम से प्राप्त किया जाना हैः

4.1 प्रकृति समृद्ध क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय आधारित चिरस्थायी ईको पर्यटन का विकास।

4.2 ईको पर्यटन स्थल पर परिवेश के अनुकूल अवस्थापनाओं का सृजन एवं विकास को प्रोत्साहन।

4.3 आगन्तुकों हेतु स्थानीय समुदायों का आतिथ्य सत्कार, संस्कृति प्रदर्शन एवं प्राकृतिक सम्पदा की व्याख्या तथा अभिव्यक्ति आदि के लिये क्षमता विकास।

4.4 ईको पर्यटन स्थलों के विकास एवं प्रवर्तन में सभी सम्बन्धित सहभागियों (यथा विभिन्न शासकीय विभागों, स्थानीय समुदायों एवं अन्य भागीदार) के मध्य समन्वय एवं सहयोग स्थापित करना।

4.5 स्थानीय लोगों में ईको पर्यटन स्थलों के समीपस्थ क्षेत्रों में उद्यमिता एवं रोजगार अवसरों के विकास को प्रोत्साहन देना।

4.6 सभी आगन्तुकों एवं विशेषकर बच्चों को प्रकृति आधारित क्रियाकलापों का आनन्द प्राप्त करने एवं सराहने हेतु उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षाप्रद अनुभव उपलब्ध कराना जिससे वे भविष्य में प्रकृति संरक्षण के प्रयासों में उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करें।

5–<u>मुख्य सिद्धान्तः</u>

5.1 **<u>विधिक ढांचा</u>**ः ईको पर्यटन से सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ देश के वर्तमान पर्यावरण सम्बन्धी विधियों एवं उपविधियों के अनुक्रम एवं भावना के अनुरूप, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के प्राविधानों एवं इसके अधीन ईको सेंसिटिव जोन हेतु निर्गत अधिसूचनाओं, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशानिर्देश, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रबन्ध योजना निर्देश एवं अन्य मार्गदर्शक निर्देश सम्मिलित करते हुये ही होंगी।

5.1.1 प्रदेश में ईको पर्यटन संबंधी कार्यों को बढ़ावा देने की कार्यवाही उ0प्र0 जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम–1950 तथा अन्य संबंधित अधिनियम/नियम/शासनादेशों के अनुसार की जायेगी। यदि किसी बिन्दु पर राजस्व विभाग के स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित होगी तो पूर्व प्रस्ताव स्पष्ट संस्तुति सहित यथासमय राजस्व विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5.1.2 ईको पर्यटन से संबंधित किया–कलाप पर्यावरणीय नियमों/अधिनियमों/मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण/मा0 न्यायालयों के आदेशों के अधीन किया जायेगा।

5.2 **<u>ईको पर्यटन– एक प्रकृति संरक्षण केन्द्रित क्रियाकलाप</u>**ः वन क्षेत्र में तथा उसके निकट स्थित ईको पर्यटन स्थलों की ईको पर्यटन योजना संरक्षण केन्द्रित होगी तथा प्रभाग की कार्ययोजना का भाग होगी एवं प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र ईको पर्यटन योजना राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्गत मार्गदर्शक निर्देश के अनुरुप बनायी जायेगी।

5.3 **ईको पर्यटन– समुदाय आधारित**: स्थानीय समुदायों को सम्मिलित करने में तथा उनकी आर्थिक स्थिति को ईको पर्यटन के माध्यम से सम्मुन्नत कराने पर मुख्य बल देना है। इन गतिविधियों का आकार एवं प्रकार स्थानीय पर्यावरण व स्थानीय समुदायों के सामाजिक–सांस्कृतिक विशिष्टताओं के अनुरूप होगा तथा उस क्षेत्र का चिरस्थायी विकास के लिये अग्रसर होगी।

5.4 **क्षमता विकास**: ईको पर्यटन के सतत् एवं उत्तरदायित्वपूर्ण विकास हेतु राज्य कर्मियों एवं स्थानीय समुदायों के स्तर पर क्षमताओं को मजबूत एवं विकसित किया जायेगा। आवश्यकता अनुरूप विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन जिसमें समुदाय आधारित ईको पर्यटन में उनमें उद्यमशीलता विकास के साथ– साथ संस्कृति प्रदर्शन एवं प्राकृतिक सम्पदा की व्याख्या, आतिथ्य सत्कार, व्यापार प्रबन्धन व अभिव्यक्ति आदि का सृजन कराना।

5.5 **अवस्थापना विकास**: ईको पर्यटन स्थल पर परिवेश के अनुकूल अवस्थापनाओं का सृजन एवं विकास किया जायेगा जिसका प्राकृतिक सम्पदाओं एवं स्थानीय संस्कृति पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़े। क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान अवस्थापनाओं एवं सुविधाओं के उपयोग को प्राथमिकता दी जायेगी।

5.6 **जागरूकता**: प्रत्येक ईको पर्यटन स्थल पर सभी समुदायों एवं आयुवर्गों, विशेष रूप से युवजनों, के मध्य पर्यावरण जागरूकता का प्रसार मुख्य क्रिया होगी। आगन्तुकों की संख्या पर अधिक बल न देते हुये उच्च गुणवत्तायुक्त अनुभव प्रदान कराने को प्राथमिकता दी जायेगी।

5.7 **भागीदारी**: सुविधाओं एवं क्रियाकलापों के विकास एवं संचालन में विभिन्न सहभागियों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जायेगा। सुविधाओं एवं क्रियाकलापों के विकास एवं संचालन राजकीय एजेन्सी अथवा स्थानीय समुदायों के साथ भागीदारी एवं निजी उद्यमियों के साथ किया जायेगा।

5.8 **विपणन:** विपणन रणनीतियों का विकास बाजार सर्वेक्षण एवं उनके विश्लेषण पर आधारित होगा जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक, प्रिन्ट एवं साइबर मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश ईको पर्यटन का बहुआयामी ईको पर्यटन स्थानों के सम्बन्ध में प्रयोग करके विकसित की जायेगी।

6. रणनीति:

उक्त उद्देश्यों को निम्नलिखित रणनीति अपनाकर प्राप्त किया जा सकेगा:

6.1 **संगठनात्मक ढांचा**: ईको पर्यटन के उत्तर प्रदेश में विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का वन विभाग नोडल विभाग होगा तथा उत्तर प्रदेश वन निगम नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा।

6.2 इस उद्देश्य हेतु उत्तर प्रदेश वन निगम आवश्यक विधि एवं प्रमाप विकसित करेगा एवं इसके लिये निगम को आवश्यक तकनीकी एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे।

6.3 ईको पर्यटन योजना संरक्षित क्षेत्र के वन्य जीव प्रबन्ध योजना एवं वन क्षेत्रों (संरक्षित/आरक्षित) की कार्ययोजना का एकीकृत भाग होगी। विसंगति उत्पन्न होने पर

संरक्षित क्षेत्र का प्रबन्धन, वन्य जीव एवं जैव विविधता के पक्ष को ईको पर्यटन के ऊपर रखा जायेगा।

6.3.1 **वन क्षेत्र**: वन क्षेत्र में ईको पर्यटन को लागू करने की रणनीति राष्ट्रीय वन आयोग, 2006 के निम्न विचारों पर आधारित होगी:–

> "Tourism, which was earlier thought to be adversary to conservation goals, is now recognised not only to be compatible but facilitative to the same. The average tourist is now better informed about the environmental impact of his travel and behaviour. Such awareness is expected to persuade people to pay more and generate a fund stream to finance conservation as well as the development of local communities. Ecotourism, as it is called, is the mantra of the new age travel industry. As Ecotourism has mostly to do with nature and wilderness, the Forest Department becomes a key factor in the activity centered on Ecotourism. The Department's capacity needs to be augmented, infrastructure raised and mechanisms of inter-department and inter-sectoral collaboration worked out."

6.3.2 **संरक्षित क्षेत्र**: संरक्षित क्षेत्र में ईको पर्यटन को लागू करने की रणनीति राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38–o (1) (c) के अन्तर्गत निर्गत विस्तृत दिशानिर्देशों पर आधारित होगी। इस दिशा निर्देश के सुसंगत अंश निम्नवत हैं:

> 10.17. Fostering Tourism or Ecotourism in tiger reserves.
>
> 'Tourism' in the context of Tiger Reserves is contemplated as "ecotourism", which needs to be ecologically sustainable nature-tourism. This is emerging as an important component of tourism industry. It is distinct from 'mass tourism', having sustainable, equitable, community based effort for improving the living standards of local, host communities living on the fringes of tiger reserves. Ecotourism is proposed to be fostered under 'Project Tiger' to benefit the host community in accordance with tiger reserve specific Tourism Plan forming part of the Tiger Conservation Plan, subject to regulation as per carrying capacity, with a focus on buffer areas. Since, tourism has been happening in areas of national parks and wildlife sanctuaries which are now designated as core or critical tiger habitat, regulated low impact tourism (visitation) would be allowed in such areas subject to site specific carrying capacity. However, no new tourism infrastructure should be

permitted in such core and critical tiger habitats. Further, the buffer forest areas should also be developed as wildlife habitats with the active involvement of local people living in such areas. This would provide extended habitat to tiger population for its life cycle dynamics, besides **benefitting local people from ecotourism activities in such areas while reducing the resource dependency of people on core or critical tiger habitats** and human-tiger interface conflicts. The opportunities for stakeholders would include management of low cost accommodation for tourists, providing guide services, providing sale outlets, managing excursions, organizing ethnic dances and the like.

संरक्षित क्षेत्र की प्रबन्ध योजना में, ईको पर्यटन हेतु, धारित क्षमता एवं पर्यटन क्षेत्र का चिन्हीकरण/सीमांकन मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा।

6.3.3 **ईको सेंसटिव जोन**: ईको सेंसटिव जोन में ईको पर्यटन से सम्बन्धित सुविधाओं एवं क्रिया कलापों का विकास पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के प्राविधानों एवं इसके अधीन ईकोसेंसटिव जोन हेतु निर्गत अधिसूचनाओं के अनुरूप होगा।

6.3.4 **नम भूमि**: उत्तर प्रदेश में 13 पक्षी विहार तथा समस्त भाग में नम भूमियों का फैलाव है जिसमें विविध प्रकार के पक्षियों का प्रवास रहता है। इन नम भूमियों में सामान्यतः शीतकाल में प्रवासी पक्षी आते हैं और उनकी मौजूदगी इन नम भूमियों में ईको पर्यटन की अपार सम्भावना प्रदान करती हैं। स्थानीय समुदायों की सहभागिता एवं सशक्तिकरण से क्षेत्र का जल चक्र एवं जल क्षेत्र (water regime) इन नम भूमि के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ईको पर्यटन के लिये स्थल विशेष योजना के निरूपण के समय नम भूमि के विशिष्ट स्वरूप को संरक्षित करने पर बल दिया जायेगा।

6.4 **ईको पर्यटन स्थल का चिन्हांकन एवं चुनाव**: ईको पर्यटन से संबंधित क्षेत्र/स्थल का चिन्हीकरण निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा:

(अ) स्थल वन क्षेत्र के नजदीक अथवा अन्दर हो तथा उक्त स्थल तक पहुँचना आसान हो।
(ब) स्थल के निकट water bodyस्थित हो।
(स) स्थल के आस–पास पक्षियों, वन्य जीवों के sighting की सम्भावना अधिक हो।
(द) स्थल का ऐतिहासिक/सांस्कृतिक महत्व हो।
(इ) स्थल के पास पहाड़/पहाड़ी/waterfall हों।
(फ) स्थल के आस–पास के निवासी/ समुदाय तथा वन कर्मी प्रकृति के प्रति संवेदनशील हों।
(ज) स्थल का रेल अथवा सड़क मार्ग से सम्पर्क हो।
(ह) स्थल के आस–पास चिकित्सकीय सुविधा आसानी से उपलब्ध हो।

प्रत्येक ईको पर्यटन स्थल की विशिष्टता के अनुसार उसकी Unique Selling Propositionतैयार की जायेगी जो कि पर्यटकों को आकर्षित करने वाली होगी।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर चिन्हीकरण के पश्चात् सम्भावित ईको पर्यटन स्थलों का चयन किया जायेगा। इन चयनित ईको पर्यटन स्थल पर विद्यमान अवस्थापनाओं का चिन्हीकरण किया जायेगा। तदोपरान्त चयनित ईको पर्यटन स्थलों को विकास हेतु, समय सीमा के आधार पर, तीन श्रेणियों–यथा अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक, में रखा जायेगा।

6.5 **ईको पर्यटन स्थल पर अवस्थापना एवं सुविधायें**: ईको पर्यटन मूल रूप से चिरस्थायी एवं परिवेश पर न्यूनतम दुष्प्रभाव डालने वाला तथा पर्यावरण, जैवविविधता एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करने, उसे सराहने एवं संरक्षित करने वाली प्रकृति का होता है। अतः ईको पर्यटन स्थल पर परिवेश के अनुकूल आवश्यक अवस्थापनायें एवं सुविधायें होंगी।

6.5.1 ईको पर्यटन स्थल पर विद्यमान अवस्थापनाओं/सुविधाओं, उदाहरणार्थ–मोटरेबिल ट्रेल्स, नेचर इन्टरप्रटेशन केन्द्र, रात्रि विश्राम स्थल आदि का विवरण तैयार किया जायेगा। यदि अवस्थापनाओं/सुविधाओं का उच्चीकरण आवश्यक होगा तो उच्चीकरण किया जायेगा। अवस्थापनायें/सुविधायें उपलब्ध न होने पर उन्हें विकसित किया जायेगा।

6.5.2 ईको पर्यटन स्थलों के पहुँच मार्गों पर तथा संरक्षित क्षेत्र/वन सीमा के बाहर निजी अतिथि गृह एवं पर्यटक आवासों का विकास योजनाबद्ध रूप से उत्तर प्रदेश वन निगम/निजी उद्यमियों के द्वारा किया जायेगा।

6.5.3 होम स्टे की धारणा को प्रोत्साहित किया जायेगा। निकटवर्ती ग्रामों के मेजबान परिवार के पास पर्याप्त आवासीय सुविधा होने पर आगन्तुकों को निर्धारित दरों पर भुगतान करने पर उपलब्ध करायेंगे। ईको पर्यटन हेतु प्रदेश में नामित नोडल एजेन्सी उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की सहायता से चयन उपरान्त उक्त सुविधाओं को अधिसूचित एवं विनियमित करेगी।

6.5.4 ईको पर्यटन स्थलों पर उपलब्ध सुविधायें एवं क्रियाकलाप स्थानीय समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रबन्धित की जायेंगी। इन स्थलों पर सुविधायें एवं क्रियाकलाप के संचालन/प्रबन्धन से होने वाली आय/लाभ का बंटवारा समुदाय, सम्बन्धित वन प्रभाग तथा उत्तर प्रदेश वन निगम के मध्य किया जायेगा। इन तीन भागीदारों के मध्य उनके उत्तरदायित्वों, जवाबदेही तथा आय/लाभ के बंटवारे के लिये एक अनुबन्ध सम्पादित किया जायेगा।

6.6 **ईको पर्यटन स्थल पर सम्भावित क्रियाकलाप**: ईको पर्यटन स्थल पर चिन्हित एवं विकसित की जाने वाली सम्भावित गतिविधियाँ स्थल विशेष के अनुरूप होंगी। ईको पर्यटन स्थल एवं क्षेत्र की उन्नति हेतु निम्नलिखित सम्भावित गतिविधियाँ एवं सुविधायें विकसित करायी जा सकती हैं:

- **नेचर कैम्प**: कैम्पिंग स्थलों का चिन्हांकन कर आधारभूत सुविधाओं का विकास कराया जायेगा, जिससे पर्यटक प्राकृतिक परिवास में ठहर कर निर्जनता का अनुभव कर सकें अथवा अन्य क्रियाकलाप में प्रतिभाग कर सकें जिसमें रात्रि विश्राम आवश्यक हो।

- **पर्यावरण हितैषी आवासीय सुविधा**: आवासीय एवं ठहरने की पर्याप्त सुविधाओं का विकास स्थल विशेष पर कराया जा सकता है। अवस्थापनायें एवं सुविधायें परिवेश के अनुकूल एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासकीय मार्गदर्शक निर्देशों के अनुक्रम में होनी चाहिये। जहाँ भी सम्भव होगा पर्यटकों के लिये आवासीय एवं ठहरने की सुविधाओं, जो निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होंगे, के विकास हेतु स्थानीय समुदाय के सदस्यों को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- **ट्रैकिंग एवं प्राकृतिक भ्रमण**: आगन्तुकों के भ्रमण हेतु, प्राकृतिक रमणीय परिदृश्यों से भरपूर स्थल जो जैव विविधता से समृद्ध हों, विभिन्न दूरी के मार्गों का चिन्हाकंन कर निर्धारित एवं विकसित कराया जायेगा, जिससे प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा को न्यूनतम क्षति पहुँचे।
- **वन्य जीव अवलोकन एवं नौकायन**: संगत स्थलों पर वन्य जीव अवलोकित कराने का कार्य पर्यावरण हितैषी वाहनों में कराने को प्रोत्साहित किया जायेगा। ऐसे स्थल जहाँ प्राकृतिक जलश्रोत् पूर्व से विद्यमान हैं उन्हें प्रदूषण मुक्त नौकाओं से नदी भ्रमण के लिये विकसित कराया जायेगा।
- **साहसिक खेल**: साहासिक खेलों जैसे–चट्टानों पर चढ़ायी, रैपेलिंग, पैरासेलिंग के साथ जल क्रिड़ाओं यथा–राफ्टिंग, नौकायन और कैनोइंग का विकास कराया जायेगा। इस हेतु सम्बन्धित विशेषज्ञों का परामर्श एवं सहयोग एवं इन जल श्रोतों के सम्बन्धित नियंत्रक विभागों से पूर्वानुमति ली जायेगी।
- **जड़ी–बूटी ईको पर्यटन**: ऐसे क्षेत्र जहाँ जड़ी–बूटी उत्पादन की समृद्ध विरासत विद्यमान है, वहाँ जड़ी–बूटी ईको पर्यटन कराने पर विशेष बल रहेगा। इन क्षेत्रों की परम्परागत आयुर्वेदिक एवं भेषजीय जड़ी–बूटियों की विभिन्न पद्धतियों एवं क्रियाओं की खोज एवं चिन्हांकन कर, उनसे उत्पन्न आधिकारिक हर्बल उत्पाद जिनका उचित प्रमाणन एवं मान्यता सक्षम प्राधिकारी से हो, उन्हें पर्यटकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
- **प्रकृति व्याख्या केन्द्र**: उपलब्ध सम्भाषण सुविधाओं को और मजबूत एवं समुन्नत किया जायेगा जिससे कि विभिन्न वर्गों के आगन्तुकों की विस्तृतता का समावेश हो सके। प्रत्येक ईको पर्यटन स्थल में आगन्तुक के अनुभव में वृद्धि हेतु उपाय कराये जायेंगे।

- **संरक्षण हेतु शिक्षण**: प्रत्येक ईको पर्यटन स्थल के आस–पास स्थित स्कूल एवं कॉलेजों के छात्रों, स्थानीय समुदायों के सदस्यों, शासकीय सेवकों एवं आगन्तुकों को पर्यावरण संरक्षण एवं उसके हित सर्मथन में सहायक होने के लिये जागरूक एवं शिक्षित कराया जायेगा।

- **अन्य सुविधायें**: पर्यावरण हितैषी कार्यकलापों जैसे–फोटोग्राफिक सफारी, जीवाश्म अवलोकन, पादप एवं जीव बचाव कार्यक्रम, झूला, बन्दरों की तरह रस्सी पर

चलना, बर्मा ब्रिज, तारा मण्डल का दिगदर्शन, ऊँट सवारी, नौकायन, साइकिलिंग, प्राकृतिक भ्रमण आदि, की सुविधायें भी उपलब्ध करायी जा सकती हैं।

6.7 **क्षमता अभिवृद्धिः** सरकार एवं स्थानीय समुदायों के मध्य उत्तरदायित्वपूर्ण एवं चिरस्थायी ईको पर्यटन हेतु क्षमता की अभिवृद्धि एवं विकास कराना होगा। ईको पर्यटन स्थलों के आस–पास स्थित स्थानीय समुदायों के सदस्य द्वारा इन सुविधाओं एवं क्रियाकलापों का संचालन एवं प्रबन्धन व्यवसायिक दक्षता से किया जायेगा।

6.7.1 सुविधाओं एवं क्रियाकलापों के व्यवसायिक आधार पर संचालन एवं प्रबन्धन हेतु स्थानीय समुदायों के सदस्यों की क्षमता को और विकसित एवं सुदृढ़ कराना होगा। चयनित सदस्यों को प्रतिष्ठित संस्थानों अथवा गैर सरकारी संगठनों, जिनकी ख्याति ईको पर्यटन क्षमता सृजन क्षेत्र में अच्छी होगी, से प्रशिक्षण प्रदान कराया जायेगा। प्रशिक्षण के अतिरिक्त कुछ सदस्यों को अध्ययन हेतु देश के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे स्थलों के भ्रमण प्रायोजित कराने होंगे, जहाँ स्थानीय समुदाय ईकोपर्यटन सुविधायें एवं क्रियाओं को सफलतापूर्वक संचालित कर रहे होंगे। उन्हें पाककला, कन्फेक्शनरी, बेकरी, गृहसज्जा, पर्यटक गाईड एवं लेखाकंन आदि क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।

6.7.2 ईको पर्यटन स्थलों से सम्बन्धित वन विभाग/निगम के कर्मियों की क्षमता विकास हेतु अध्ययन भ्रमण कराया जायेगा। इससे उनकी दक्षता में वृद्धि होगी और भविष्य में वह अपने वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबन्धन के नैत्यिक कार्यों के साथ–साथ ईको पर्यटन का कार्य कुशलतापूर्वक सम्पादित कर सकेंगे।

6.8 **मानकों एवं गुणवत्ता सूचकों का निर्धारणः** ईको पर्यटन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर गुणवत्ता सूचकों एवं मानकों के निर्धारण हेतु सर्वोत्कृष्ट विधियाँ, मार्गदर्शक दिशानिर्देश, कोड, प्रमाप, अंकेक्षण, प्रमाणन योजनायें एवं आदर्शों का निरूपण एवं प्रवर्तन कराना होगा।

6.9 **प्रचार एवं प्रसारः** सामान्य जनों को ईको पर्यटन स्थल पर उपलब्ध सुविधाओं एवं कार्यकलापों के विषय में सम्भवतः जानकारी नहीं हो सकती है। प्रचार के निम्न उपाय उपयोगी हो सकते हैंः–

परिपथ (सर्किट) पद्धति के माध्यम से ईको पर्यटन का सम्वर्द्धन किया जा सकता है। कुछ परिपथ निम्न प्रकार के हो सकते हैं–

- बाघ परिपथ
- पक्षी परिपथ
- नम भूमि परिपथ
- गंगाबेसिन परिपथ
- पूर्वी/दक्षिणी क्षेत्र वन्य जीव परिपथ

–ईको पर्यटन के विपणन को बढ़ावा देने तथा समन्वय के लिये एक वेबसाइट स्थापित की जायेगी, इससे :–

(अ) ईको पर्यटन की संधारणा एवं इसके सिद्धांतो का व्यापक प्रचार–प्रसार होगा।

(ब) विषय के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित कर सम्भावित आगन्तुकों को वेबसाईट (तथा इसके लिंक्स) को जानने के लिये प्रोत्साहित कर सम्भावित स्थलों के भ्रमण हेतु उन्हें प्रेरित करेगा।

(स) ऑन लाईन आरक्षण की सुविधा के साथ–साथ ईको पर्यटन स्थलों पर उपलब्ध सुविधाओं, पर्यावरण हितैषी आवास, होम स्टे आदि के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध होगी।

(ग) ईको पर्यटन में संलग्न उपक्रमों/उद्यमों का पारदर्शी व उद्देश्यपूर्ण आंकलन व मूल्यांकन कर दर्शित करेगा कि पर्यावरण हितैषी आवास, होम स्टेज तथा अन्य उपक्रम पूर्व निर्धारित सेवा के सर्वोच्च मापदण्डों के आलोक में किस स्तर पर हैं। पूर्ण सूचना से आगन्तुक को उनके स्थल/आवास सुविधा का चयन करने में सहायता होगी साथ ही साथ उपक्रमों को उच्च रीतियाँ/विधियाँ विकसित एवं अंगीकृत करने के लिये उत्प्रेरक का कार्य करेगी।

– ब्रोशर एवं अन्य सभी प्रकार की प्रचार सामग्री का विकास कराया जायेगा।

– ईको पर्यटन को और आकर्षक बनाने हेतु उपहार विक्रय केन्द्र एवं मार्गदर्शक चिन्ह विकसित करने होंगे।

– राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर पर्यटन विभाग से समन्वय स्थापित किया जायेगा।

– पर्यटन संचालकों, होटल स्वामियों, निगमित एवं संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों एवं मीडिया से यथोचित समन्वय स्थापित किया जायेगा।

– ईको पर्यटन उत्तर प्रदेश के लिये ब्राण्ड अम्बेसडर का चुनाव तथा प्रतीक चिन्ह विकसित किया जायेगा।

– राष्ट्रीय, राज्य व स्थानीय स्तर पर ईको पर्यटन सम्बन्धित समस्त हितधारकों के मध्य प्रभावी समन्वयन तन्त्र का विकास कराना होगा।

– स्थानीय हितों पर बिना कोई समझौता किये राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाओं, जो ईको पर्यटन में दक्ष हो, से तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

6.10 स्थलीय आउटपुट्सः

ईको पर्यटन के एक सफल स्थल से निम्न बिन्दु प्रतिबिम्बित होने चाहियेः–

(अ) अक्षय/शाश्वत ऊर्जा एवं प्राकृतिक रूप से सड़नशील संसाधनो के उपयोग में वृद्धि अर्थात् ईको पर्यटन स्थल पर ईको पर्यटन की गतिविधियाँ प्रारम्भ होने के पश्चात् अधिक से अधिक परिवारों ने अक्षय ऊर्जा एवं प्राकृतिक रूप से सड़नशील संसाधनो का उपयोग करना शुरू कर दिया है।

(ख) ईको पर्यटन सुविधाओं का प्रबन्धन पंजीकृत (प्रभाग स्तर पर) समितियों–ईको विकास समिति/संयुक्त वन प्रबन्धन समिति, द्वारा किया जा रहा है।

(स) ईको पर्यटन स्थल पर अनुभवजन्य क्रियाकलाप आगन्तुक द्वारा स्वंय कर परिवेश के महत्व एवं संरक्षण को समझा जा रहा है। इस हेतु प्रशिक्षित एवं भिज्ञ स्थानीय अनुदेशक व गाइड उपलब्ध हों तथा इनकी उपलब्धता आगन्तुक के क्रिया कलापों को समझने तथा निर्वचन के सहायक हैं।

(द) पर्यावरण हितैषी कचरा निस्तारण की विधियों का अंगीकरण किया जा रहा है।

6.11 वित्तीय प्रबन्धन

ईको पर्यटन से संबंधित सभी कार्य जैसे अवस्थापना एवं सुविधायें, सम्भावित क्रिया–कलाप, क्षमता अभिवृद्धि, मानकों एवं गुणवत्ता सूचकों का निर्धारण, प्रचार–प्रसार एवं अन्य आवश्यक कार्यों के सम्पादन हेतु वित्तीय संसाधनों की निरन्तर उपलब्धता एक आवश्यक पहलू है। प्रदेश के आय–व्ययक से संसाधनों की उपलब्धता, प्रशासनिक विभाग के परिव्यय के अन्तर्गत रखते हुए, उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा और भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से धनराशि प्राप्त करने की कार्यवाही की जाय। वन निगम भी आवश्यकतानुसार वित्त संसाधन जुटाने में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त निजी संस्थाओं की भी सहभागिता प्राप्त की जायेगी जिससे राज्य सरकार पर वित्तीय भार कम हो सके। सोशल कारपोरेट दायित्व के तहत निजी संस्थाओं से धनराशि प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। ईको पर्यटन से प्राप्त होने वाली आय को वन विभाग के सहयोग से एक रिवाल्विंग फन्ड की स्थापना करने हेतु कदम उठाये जायेंगे। सहभागी निजी संस्थाओं की आय से भी आपसी समझौते के आधार पर 10 प्रतिशत रिवाल्विंग फन्ड में जमा कराने हेतु कार्यवाही की जायेगी।